वायुदूत और इंडियन एयरलाइन्स का विलय

1349. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत और इंडियन एयर लाइन्स का विलय संबंधी कार्य पूरा हो चुका है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इस समय विभिन्न विमानपत्तनों और अन्य स्थानों पर कार्यरत वायुदूत के कर्मचारियों को वेतन आदि के भुगतान पर कितनी धनराशि व्यय की जा रही है और उनसे लिये जा रहे कार्य का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वायुदूत की अलग न्यायिक सत्ता समाप्त करने के लिए कानूनी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं।

(ख) वायुदूत के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान पर प्रतिमाह लगभग 61 लाख रुपए खर्च किये जाते हैं। वायुदूत के कर्मचारियों द्वारा प्रचालनात्मक, रख-रखाव, वाणिज्यिक और प्रशासनिक कार्य किये जाते हैं। देश में वायुदूत के प्रचालनात्मक नेटवर्क में इस समय 23 स्टेशन हैं।

Challenging the Open Sky Policy

1350. SHRI NARAIN PRASAD GUPTA : Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state :

(a) whether Government attention has been drawn to the news item published in the Statesman on the 22nd December, 1993 about the Open Sky Policy challenged in Calcutta High Court ; and

(b) if so, what are the details thereof and the fallout on the airlines business in India ?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD) : (a) Yes, Sir.

(b) Forum of Scientists, Engineers and Technologists, Calcutta filed a writ petition in the Calcutta High Court, under Article 226 of the Constitution challenging grant of permits to air taxi operators. In the writ petition, certain provisions of Aircraft Rules) 1937 and guidelines for air taxi operations have been challenged.

In accordance with the notification issued by Central Government in persuance of the Air Corporations (Transfer of Undertakings and Repeal) Ordinance, 1994, the Air Corporations Act, 1953 stands repeaed and as a consequence thereof, the state monopoly on operation of scheduled air transport services has been removed.

As the case is till subjudice, there has been no fall out on air transport operations

मध्य प्रदेश से दक्षिण भारत तक सीधी विमान सेवा

1351. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के निवासियों को दक्षिण भारत, विशेष रूप से त्रिवेन्द्रम, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद और अन्य शहरों के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध कराई गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर आदि जैसे विभिन्न शहरों से दक्षिण भारत तक सीधी विमान सेवा उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार सीधी विमान सेवा के माध्यम से मध्य प्रदेश को दक्षिण भारत से जोड़ने हेतु कोई कार्यवाहि करेगी; यदि हां, तो उक्त सेवा कब से आरम्भ की जायेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स के अनुमान के अनुसार, अपर्याप्त यातयात संभावना का होना।

(ग) अपेक्षित शर्तों को पूरा करने के बाद, कोई भी हवाई परिवहन प्रचालक अब अपने वाणिज्यिक विवेक से इस प्रकार के हवाई संपर्क की व्यवस्था कर सकता है।